न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/01/2024	2024/51	11.07.2024	26.05.2025

1.तहसीलदार (भू–अभिलेख) मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1.धोली उर्फ दोल्या पुत्र जीवन जाति जाटव निवासी हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 बाबत् दिनांक 17.05.1966 को ग्राम हल्दीना के आ0ख0नं0 1685 रकबा 0.15 है0 व ख0नं0 1691 रकबा 0.32 है0 को अप्रार्थी को आवंटन किया गया, को निरस्त करने बाबत।

राज्य अति० जि० कलै० एवं अति० जि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर राजस्थान सरकार

उपस्थित:–

01. श्री राजकीय अभिभाषक –वकील पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1966 जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 1685 रकबा 0.15 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1961 रकबा 0.32 हैक्टेयर अप्रार्थी को आवंटन किये जाने से व्यथित होकर पेश किया है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.15 है. व खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.32 है. वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर दिनांक 17.05.1966 को अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नही की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से आज तक कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का हल्दीना की रिपोर्ट दिनांक 04.05.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है की कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा कास्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नही लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज. कृषि भूमि आवंटन नियम 1970

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

के नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवंटन दिनांक 17.05.1966 के द्वारा जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 1685 रकबा 0.15 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.32 हैक्टेयर वाके ग्राम हल्दीना का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे। श्रीमान की अति कृपा होगी।

पत्रावली में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य/रिकॉर्ड एवं बहस का मनन किया गया। सर्वप्रथम इस मामले में यह देखा जाना है कि आया आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की है अथवा नहीं? पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का हल्दीना की दैनिक डायरी एवं रिपोर्ट दिनांक 04.05.2024 के अनुसार खसरा नंबर 1685 रकबा 0.15 है0 किस्म चाही–2 तथा खसरा नंबर 1691 रकबा 0.32 है0 किस्म चाही–2 अप्रार्थी धोली उर्फ दोल्या पुत्र जीवन जाति जाटव गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी खसरा नंबर 1685/0.15 है0 पर वर्तमान में पक्का मकान व चारों तरफ पक्की बाउण्ड्री व पशु बाडा बना हुआ है तथा खसरा नंबर 1691/0.32 है0 पर वर्तमान में जोत लगाकर कपास की फसल बोई हुई है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि खसरा नंबर 1685 पर पक्का मकान, बाउण्ड्री व पशुबाडा निर्मित है, पर बीजाराम पुत्र फत्याराम जाति जाट निवासी हल्दीना व उसका परिवार लगभग 28–30 वर्षों से निवास कर रहा है तथा खसरा नंबर 1691/0.32 है0 पर बीजाराम पुत्र फत्याराम जाति जाट निवासी हल्दीना द्वारा तारबंदी कर कब्जा काश्त (फसल) किया जा रहा है। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया कि उक्त दोनों खसरा नंबरों पर आवंटन के बाद से आवंटी/अप्रार्थी गैर खातेदार धोली उर्फ दोल्या पुत्र जीवन जाति जाटव निवासी हल्दीना का कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त दोनों खसरा नंबरों पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नोट अंकित नहीं है। पत्रावली में संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 04.05.2024 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी खसरा नंबर 1685 रकबा 0.15 है0 किस्म चाही–2 तथा खसरा नंबर 1691 रकबा 0.32 है0 किस्म चाही–2 अप्रार्थी धोली उर्फ दोल्या पुत्र जीवन जाति जाटव गैर खातेदार का वक्त आंवटन से आज तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि आवंटी का आवंटित उक्त आराजी पर अनवरत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है और उसके द्वारा भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष खातेदारी सनद जारी करने का आवेदन दायर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

किया हो। चूंकि आवंटित खसरा नंबर 1685 पर अन्य व्यक्ति बीजाराम वगैरा के मकानात बने हुए हैं जिससे यह तथ्य भलीभांति प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत किये गये आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14 (4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा अप्रार्थी धोली उर्फ दोल्या पुत्र जीवन जाति जाटव निवासी हल्दीना को आराजी खसरा नंबर 1685 रकबा 0.15 है0 किस्म चाही–2 तथा खसरा नंबर 1691 रकबा 0.32 है0 किस्म चाही–2 वाके ग्राम हल्दीना की भूमि के किये गये आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1966 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक **26.05.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.5.25

(योगेश कुमार डांगुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)